न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट खोह)

वाद संख्या :— 12/01/2018

1. नवरत्न पुत्र रामकरण शर्मा निवासी ग्राम खोहदरीबा तहसील राजगढ़ हाल निवासी कंवरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
2. शांति देवी बेवा रामकरण शर्मा निवासी ग्राम खोहदरीबा तहसील राजगढ़ हाल निवासी कंवरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
3. अनुराग पुत्र रामकरण शर्मा निवासी ग्राम खोहदरीबा तहसील राजगढ़ हाल निवासी कंवरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
4. रेखा पुत्री रामकरण शर्मा निवासी ग्राम खोहदरीबा तहसील राजगढ़ हाल निवासी सोडाला, जयपुर पत्नि बंटी शर्मा
5. अरूणा पुत्री रामकरण शर्मा निवासी ग्राम खोहदरीबा तहसील राजगढ़ हाल निवासी बांदीकुई पत्नि नवीन शर्मा — अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत खोहदरीबा जरिये सरपंच — रेस्पोडेन्ट

<u>अपील इन्तकाल संख्या 1177 वाके ग्राम खोहदरीबा</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 21.06.2018

Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट खोह पर पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 304/0.44, 1518/0.02, 1516/0.95 है. वाके ग्राम खोहदरीबा तहसील राजगढ में स्थित है जो मृतक रामकरण पि.मु. भौंरया की खातेदारी आराजी है। मृतक रामकरण दिनांक 31.10.2016 को स्वर्गवास हो गया। रामकरण अपने मामा के पास रहता था। भौंरया के कोई वारिस नहीं था। भौंरया द्वारा अपने जीते जी आराजी को मृतक रामकरण के नाम दर्ज करा दी। रामकरण के पिता का नाम शिवसहाय था। मृतक रामकरण के वारिसान अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत खोह के समक्ष इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही की तो ग्राम पंचायत खोहदरीबा ने दिनांक 20.02.2018 को इन्तकाल संख्या 1177 जो दर्ज किया को बिना जांच किये अस्वीकार कर दिया जो कार्यवाही ग्राम पंचायत स्वीकार योग्य नहीं है जबकि ग्राम पंचायत को निर्णय करने के समय रामकरण के वारिसान अपीलान्ट को सूचना कर सुनकर निर्णय करना चाहिए था। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब के आदेश दिए गए। रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत खोहदरीबा कैम्प कोर्ट के दौरान उपस्थित है उसके द्वारा अपील स्वीकार करने पर कोई एतराज पेश नहीं किया।

मैंने वास्ते निर्णय पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध इन्तकाल संख्या 1177 वाके खोह व मृत्यु प्रमाण पत्र रामकरण तथा ग्राम पंचायत कंवरपुरा पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र मृतक रामकरण दिनांक 21.11.2016 की जो फोटोप्रति संलग्न है का भी अवलोकन किया व नामान्तकरण संख्या 1177 का भी अवलोकन किया। उक्त नामान्तकरण के इन्द्राज में जैसा कि इन्तकाल को इस बिना पर खारिज किया है कि बरवे रिकॉर्ड मिलान किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र से पिता का नाम मेल नहीं खा रहा है जबकि अपीलान्ट द्वारा अपील में स्पष्ट किया है कि रामकरण के पिता का नाम तो शिवसहाय था परन्तु रामकरण अपने मामा भौंरया के पास रहता था और भौंरया द्वारा उसकी खातेदारी की आराजी अपने जीवनकाल में ही रामकरण के नाम दर्ज करा दी तथा रामकरण पि.मु. भौंरया रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना सही जांच किये नामान्तकरण पर खारिज

का निर्णय किया है जो काबिल स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार योग्य पायी जाती है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट हाल आराजी खसरा नम्बर 304/0.44, 1518/0.02, 1516/0.95 है. वाके ग्राम खोहदरीबा तहसील राजगढ स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 1177 दिनांक 16.10.2017 ग्राम पंचायत खोहदरीबा की कार्यवाही निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार राजगढ को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो मृतक रामकरण के वारिसान की जांच कर विधि अनुसार पुनः मृतक रामकरण के वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। प्रति निर्णय तहसीलदार राजगढ को पालनार्थ भिजवायी जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट खोह)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official